न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–148/2019

उनवान

1. किशना,
2. मगना,
3. भंवर,
4. मांगीलाल,
5. लक्ष्मण,
6. पांची,
7. सुवा पि0 देवा जाति गुर्जर नि0 लवेरा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर

बनाम

1. ओमप्रकाश,
2. महादेव पुत्र किशना,
3. सोहनी पुत्री किशना,
4. कमला पत्नी मेधा,
5. बहादुर पुत्र मेधा,
6. रूकमा पत्नी गोपी,
7. भंवर सिंह,
8. फूल सिंह,
9. मदन सिंह,
10. भागू सिंह,
11. सुखदेव सिंह पि0 गोपी,
12. पांची पुत्री गोपी,
13. छोटी देवी पत्नी पूमा उर्फ प्रेम सिंह,
14. रामचन्द्र पुत्र पूमा उर्फ प्रेम सिंह,
15. तीजी पुत्री पूमा उर्फ प्रेम सिंह,
16. सुवा पत्नी पांचू,
17. नेती पुत्री पांचू,
18. ढगरी पुत्री पांचू,
19. जगमाल,
20. मांगू,
21. बीरमा,
22. मंगला,
23. हेमा पि0 पांचू समस्त जरिये तहसीलदार नसीराबाद,
24. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
25. उप पंजीयक, नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

26\. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा बीर,

—— प्रतिवादीगण :—

1, 7, 9 से, 15 व 17 से 22 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
24 व 25 जरिये राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 31.7.25

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. लवेरा की निम्न आराजी वादीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा की क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
106	2—7—0	65	0.38
107	1—12—0	54	0.26
110	0—2—0 में से 1/4 हिस्सा	55	0.02
115	3—3—0	43	0.51
113	5—0—0 में से 0—13—0	61	0.81

उक्त आराजी में से वंर्किग खसरा नम्बर 106 रकबा 2—7—0 की आराजी मूल खातेदार पांचू पुत्र ज्वारा के नाम दर्ज थी। मूल खातेदार द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2001 को वादीगण के पूर्वज देवा पुत्र ज्वारा गुर्जर को बेचान कर दी। उक्त विक्रय पत्र की पालना में क्रयशुदा आराजी नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 20.09.2001 द्वारा क्रेता देवा पुत्र ज्वारा के नाम अंकित हुयी। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.38 को क्रेता/वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 23 के नाम अंकित कर दी तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 26 के रहन रख दी गयी।

वंर्किग खसरा नम्बर 107, 110, 115 व 113 की आराजी तत्कालीन खातेदार राजू पुत्र चतरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 6 से 12 के पिता गोपी, प्रतिवादी संख्या 13 से 15 के पिता पेमा, प्रतिवादी संख्या 16 से 20 के पिता पांचूव 21 ये 23 ने जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 28.03.2001 को वादीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा को बेचान की गयी। उक्त बेचान के आधार पर वंर्किग खसरा नम्बर 110 के हाल खसरा नम्बर में से 1/4 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज हो गया है। वंर्किग खसरा नम्बर 115 के हाल खसरा नम्बर 43 रकबा 0.51 में से 0.23 वादी संख्या 1 किसना के नाम दर्ज हो गया है। किन्तुउक्त खसरा नमबर का कम रकबा वादी किसना के नाम दर्ज किया गया है। वंर्किग खसरा नम्बर 107 के हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.26 व वंर्किग खसरा नम्बर 113 के हाल खसरा नम्बर 61 [illegible] में से 0—13—0 भूमि प्रतिवादीगण द्वारा बेचान किये जाने के बाद भी गेर कानूनी तरीके से [illegible] वादी संख्या 1 से 23 के नाम दर्ज कर दी जिसके आधार पर प्रतिवादी[illegible] संख्या 26 के रहन रख दी है। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज [illegible] प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार विक्रय पत्र अनुसार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9 से 15 व 17 से 22 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगणबावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा वादी किशना का शपथ पत्र पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9 से 15 व 17 से 22 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य बंद की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्धान अधिवक्तागणव राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लवेरा के वंर्किग खसरा नम्बर 106, 107, 110, 115 व 113 की आराजी वादीगण के पिता देवा पुत्र ज्वारा ने दो अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 28.03.2001 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की। विक्रय पत्र की पालना में वंर्किग खसरा नम्बर 106 नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 20.09.2001 द्वारा क्रेता के नाम दर्ज किया गया। किन्तु उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.38 त्रुटिपूर्ण तरीके से पुनः प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गयी आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 110 के हाल खसरा नम्बर 55 रकबा 0.02 हाल राजस्व अभिलेखमें वादीगण के नाम ही दर्ज है। हाल खसरा नमबर 43 रकबा 0.51 में से 0.23 आराजी वादी संख्या 1 किसना पुत्र देवा के नाम दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उक्त खसरा नम्बर का रकबा मिला क्षेत्रफल में 0.51 ही है किन्तु जमाबंदी में रकबा 0.23 ही अंकित है अतः शेष रकबा भी वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। किन्तु वादीगण ने यह स्पष्ट नही किया है कि हाल खसरा नम्बर 43 का शेष रकबा किस के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर का रकबा मिलान क्षेत्रफल अनुसार जमाबंदी में कम दर्ज किया है तो किस खसरा नम्बर का रकबा मिलान क्षेत्रफल में दर्ज रकबे से अधिक कर दिया है। अतः शेष रकबे की स्थिति स्पष्ट नही करने के कारण वादीगण उक्त हाल खसरा नम्बर 43 पर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

वादीगण के पूर्वज द्वारा क्रयशुदा आराजी के हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.26 व खसरा नम्बर 61 में से 0–13–0 क्रेता अथवा उसके वारिस के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि तत्कालीन खातेदारान ने आराजी मुतनाजा प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान की है। प्रतिवादी संख्या 1, 7, 9 से 15 व 17 से 22 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब व साक्ष्य पेश नही की गयी। शेष प्रतिवादीगण बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण के पिता द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी [illegible] का अवसान हो चुका है। विक्रय पत्र की पालना पूर्व राजस्व अभिलेख में की [illegible] आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक क्रयशुदा है। विक्रेता के वारिस [illegible] संख्या 26 से ऋण प्राप्त किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

——4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

है। किन्तु प्रतिवादीगण/पूर्वज द्वारा उक्त आराजी का बेचान पूर्व में ही कर दिया था। अतः आराजी मुतनाजा पर बैंक ऋण का इन्द्राज वादीगण के हितों पर अप्रभावित है। आराजी मुतनाजा का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगणआराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम व प.म. लवेरा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.38, हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.26 व हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 0.70 में से 0.104 की आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

किशना बनाम ओमप्रकाश

दावा बाबत :– 88, 89, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –148/2019
पेश करने की दिनांक –16.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक गोरधन गुर्जर मुद्दई सीताराम रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम व प.म. लवेरा की आराजी मुतनाजा पर वादीगण का वाद **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 65 रकबा 0.38, हाल खसरा नम्बर 54 रकबा 0.26 व हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 0.70 में से 0.104 की आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:05:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद